

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(15)नविवि/3/2003

जयपुर, दिनांक:

**अधिसूचना**

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित पीलीबंगा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतद्द्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.04.2006 के द्वारा अधिसूचित " पीलीबंगा नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

(सीमा शर्मा- I)  
शासन उप सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref  
5856653

